

**कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / यो०ब०-१८/२०१८- ११८७ दिनांक :- २१-०९-१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/खूंटी वन प्रमण्डल/गुमला वन प्रमण्डल/लोहरदगा वन प्रमण्डल/सिमडेगा वन प्रमण्डल/कोल्हान वन प्रमण्डल/चाईबासा वन प्रमण्डल/सरायकेला वन प्रमण्डल/जमशेदपुर वन प्रमण्डल/लातेहार वन प्रमण्डल।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य के लिए कुल रु० 667.270 लाख (छः करोड़ सङ्खरण लाख सताईस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-३१/२०१८-१७ व०प० दिनांक-२६.०७.२०१८ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-३१/२०१८-६० व०प० दिनांक-३१.०७.२०१८।

**महाशय,**

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- ७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 667.270 लाख (छः करोड़ सङ्खरण लाख सताईस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	261.240
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	406.030
<b>कुल :-</b>		<b>667.270</b>

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

17. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का समय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-18/2018- 1187 दिनांक- 21-09-18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/जमशेदपुर/चाईबासा/मेदिनीनगर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-18/2018- 1187 दिनांक- 21-09-18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/खूंटी/गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा/चाईबासा/सरायकेला/जमशेदपुर/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
				v	vi	vii
i	ii	iii	iv			
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	15.00	150.00	57.626	89.566	147.192
2	खूँटी वन प्रमण्डल	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	7.00	70.00	26.892	41.797	68.689
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
6	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
7	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
8	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
9	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	11.00	110.00	42.259	65.682	107.941
10	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	5.00	50.00	19.209	29.855	49.064
योग :-		68.00	680.00	261.240	406.030	667.270



प्रधान संख्य वन सरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

### नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m <sup>2</sup>
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	237.38

रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस गजदरी (रुपये में)	सामग्री (रुपये में)	कुल	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>A वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिकारी कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 237.38</b>						
1	सर्वक्षण एवं सीधांकन	प्रति इकाई	0.6	142.43		142.43
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	474.76		474.76
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई	-			
3.1	आर०सी०सी० पीलर 82 सं० 823.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	28010.84	39475.16	67486.00
3.2	कटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कटीलातार को खीचने, सीधा करने, रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1407.66		1407.66
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कटीलातार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6530.32	5763.38	12293.70
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति है० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1566.71	0.00	1566.71
5	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिं/सिल्ट रिटेंशन डैम / कटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	284.86	0.00	284.86
	कुल:-		<b>161.84</b>	<b>38417.58</b>	<b>59710.54</b>	<b>98128.12</b>
<b>B वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 273.00 (पृष्ठे 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानवे हुए</b>						
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1801.80	0.00	1801.80
3	दो कोडनी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2047.50	0.00	2047.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4914.00		4914.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		<b>32</b>	<b>8763.30</b>	<b>4572.13</b>	<b>13335.43</b>
<b>C वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 314.00 (पृष्ठे 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानवे हुए</b>						
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1318.80	0.00	1318.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7536.00	0.00	7536.00
4	घेरान की सम्पत्ति	प्रति इकाई	1.20	376.80	275.00	651.80
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	194.68	100.00	294.68
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4282.96	0.00	4282.96
	कुल:-		<b>43.66</b>	<b>13709.24</b>	<b>1036.40</b>	<b>14745.64</b>

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (₹)	सामग्री (₹)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 361.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1516.20		1516.20
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	8664.00	0.00	8664.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	433.20	275.00	708.20
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4924.04		4924.04
	कुल:-		43.04	15537.44	479.90	16017.34
E	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 415.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1743.00		1743.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	4980.00		4980.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	498.00	275.00	773.00
	कुल:-		17.4	7221.00	479.90	7700.90
F	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 477.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5724.00		5724.00
	कुल:-		12	5724.00	0.00	5724.00
G	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 549.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6588.00		6588.00
	कुल:-		12	6588.00	0.00	6588.00
	सकल योग:-		322.040	95960.56	66278.87	162239.43

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशासित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमण हो सके। व्यवहारिक रूप से 10 ब्लॉक को 1 किमी माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संज्ञक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

**वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का स्थल विवरणी**

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19		
		प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा (कि०मी०में)
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	राँची पश्चिमी वन क्षेत्र, काँके	नलकारी नदी (चन्द्रा से पतरातु पुल तक)	5
		राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलाँग	स्वर्णरेखा नदी (नामकुम से लालगंज तक)	10
योग :-				15
2	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	खूंटी	बनई नदी तट (महिल)	1
		जरिया	छाता नदी से कोसामी पुल से घेरपिण्डा तक	1
		बुण्डू	कांची नदी तट उत्तरी भाग	1
		तमाड़	कांची नदी तट दक्षिणी भाग	1
		गिरगा	कारो नदी तट	1
योग :-				5
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	चैनपूर छूमरी शंख नदी पुल के तट पर दोनों तरफ	4
			मरियम टोली से केमटे शंख नदी के तट पर दोनों तरफ	3
योग :-				7
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	लोहरदगा	कोयल नदी लालपुर पुल से चितरी डांडू तक	5
योग :-				5
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	कुरडेगा	कसडेगा से छूररडीह तक अतियाल नदी तट पर	5
योग :-				5
6	कोल्हान वन प्रमण्डल	संतरा प्रक्षेत्र	संजय नदी (चैनपुर से सोनुआ)	5
योग :-				5
7	चाईबासा वन प्रमण्डल	चाईबासा प्रक्षेत्र	कुजू नदी	5
योग :-				5

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19		
		प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा (कि०मी०मे०)
8	सरायकेला वन प्रमण्डल	सरायकेला प्रक्षेत्र	खरकाई नदी (कुलुपटागा से गांजियापुलिया)	5
योग :-				5
9	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	चाकुलिया प्रादेशिक प्रक्षेत्र	चाकुलिया से बड़ाघाट सुवर्णरेखा नदी तट	6
		मानगो प्रादेशिक प्रक्षेत्र	कुस्तुलिया से धनिया एवं केशीकुदर से तिलामुडा	5
योग :-				11
10	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	मनिका वनरोपण प्रक्षेत्र	माईल से विचलीदाग (स्थल नदी किनारे स्थित है)	5
योग :-				5
सकल योग :-				68

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### आरखड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शोर्ख के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018/1187

दिनांक -

21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103	57770	DRNFWL013 RAJEEV LOCHAN BAKSHI रुपये सत्तावन लाख बासठ हजार छ: सौ DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	5,762,600.00
2	S 19 240601796590103	57771	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ D.F.O KHUNTI	1,920,900.00
3	S 19 240601796590103	57772	GMLFOR001 SRIKANT रुपये छब्बीस लाख नवासी हजार दो सौ D.F.O. GUMLA	2,689,200.00
योग:				10,372,700.00
क्रमिक योग:  रुपये एक करोड तीन लाख बहत्तर हजार रुपये सौ				
PCCF(DIBDARHWAH)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57773	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,920,900.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57774	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,920,900.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57775	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	1,920,900.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ

३४


क्रमिक योग

रुपये एक करोड़ इक्सठ लाख पैतीस हजार चार सौ

5,762,700.00

16,135,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवहार पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103	57776	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	1,920,900.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन ग्रांट भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796590103	57777	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,920,900.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601796590103	57778	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,225,900.00 रुपये बयालीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन ग्रांट भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
योग:				8,067,700.00
क्रमिक योग:				24,203,100.00
<p style="text-align: center;">रुपये दो करोड बयालीस लाख तीन हजार एक सौ</p> <p style="text-align: center;"> (SHRI SATNAM SINGH)</p> <p style="text-align: center;">PCCF,DBAI(MARKMAN)RANCHI</p> <p style="text-align: right;"><i>Bachrau 2/5</i></p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103	57779	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	1,920,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मरम्मती <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			रुपये उन्नीस लाख बीस हजार तीन सौ
11	S 19 240601796590323	57780	DRNFWL013 RAJEEV LOCHAN BAKSHI DFO RANCHI FORES DIVISION RA	8,956,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छः सौ
12	S 19 240601796590323	57781	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	2,985,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			रुपये उन्नीस लाख पिच्चयासी हजार पाँच सौ
				13,863,000.00
योग:				38,066,100.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड अस्ती लाख छाठठ हजार एक सौ			

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57782	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	4,179,700.00 रुपये इकतालीस लाख उन्नाती हजार सात सौ
14	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57783	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICER	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
15	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57784	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
<hr/>				
योग:				10,150,700.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड बयासी लाख सोलह हजार अट सौ			48,216,800.00
<hr/>				
<i>(Shri Satnam Singh)</i> PCCF(DIBADHANKHANS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590323	57785	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पौंच सौ
	2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601796590323	57786	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पौंच सौ
	2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601796590323	57787	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पौंच सौ
	2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
				8,956,500.00
योगः				57,173,300.00
क्रमिक योगः	रुपये पौंच करोड इकहत्तर लाख तीहत्तर हजार तीन सौ			

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवहार पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57788	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	6,568,200.00
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	57789	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	2,985,500.00
				9,553,700.00
योग:				66,727,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड़ सठसठ लाख सत्ताइस डम्बर

(SHRI SATNAM SINGH)

*Zahoor 2/3*

PCCF.DBD(MKHNS)RANCHI